रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092020-221722
CG-DL-E-14092020-221722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2782] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2020/भाद्र 23, 1942
No. 2782] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2020/BHADRA 23, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2020

का.आ. 3129(अ).—माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

आदेश

31 अगस्त, 2020

श्री चेरू रामाकोटैय्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) ने अधोहस्ताक्षरी को एक याचिका, तारीख 9 सितंबर, 2019, भेजी है, जिसके द्वारा उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री विजय साईं रेड्डी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रत्यर्थी" कहा गया है) की निरर्हता की मांग इस आधार पर की है कि प्रत्यर्थी नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि के रूप में लाभ का पद (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त पद" कहा गया है) धारण कर रहे है ।

और, याची द्वारा फाइल की गई उक्त याचिका को प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) की अपेक्षानुसार भारत निर्वाचन आयोग को उसकी राय मांगने के लिए निर्दिष्ट किया गया था ।

और, याची ने यह कथन किया है कि श्री वी. विजय साईं रेड्डी राज्य सभा के लिए 03.06.2016 को निर्वाचित हुए थे । इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्यर्थी को उक्त पद पर नियुक्त किया था और उन्हें जी.ओ.एम. सं. 68, तारीख 22.06.2019 द्वारा कैबिनेट मंत्री का पद प्रदान किया था । नियुक्ति का उक्त आदेश तुरंत प्रभावी हुआ था और प्रत्यर्थी लाभ का पद धारण कर रहा था । तत्पश्चात्, जी.ओ.एम. सं. 74, तारीख 04.07.2019 द्वारा श्री वी. विजय साईं रेड्डी की नियुक्ति को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था ।

और, याची ने आगे यह कथन किया है कि तारीख 07.07.2019 को, प्रत्यर्थी को जी.ओ.एम. सं. 75 द्वारा उक्त पद पर पुन:नियुक्त किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वे विशेष प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी शासकीय यात्राओं के दौरान 'राजकीय अतिथि' की प्रास्थिति का उपयोग करने के अलावा, किन्हीं अन्य परिलब्धियों के लिए हकदार नहीं होंगे । याची ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता इस आधार पर उपगत की है कि वे नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि रूप में 'लाभ का पद' धारण कर रहे हैं ।

और, उक्त याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 की अपेक्षानुसार भारत निर्वाचन आयोग को इस प्रश्न पर उसकी राय मांगने के लिए निर्दिष्ट की गई थी कि क्या आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री वी. विजय साईं रेड्डी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

और, भारत निर्वाचन आयोग ने, याचिका की जांच करने के पश्चात् यह राय दी है कि संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और न्यायिक पूर्वनिर्णयों में माननीय न्यायालयों द्वारा किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी, **अर्थात्** आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री वी. विजय साईं रेड्डी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत नहीं की है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय तारीख 9 जून, 2020 की एक प्रति इससे उपाबद्ध है ।

अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करने के पश्चात्, मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अभिनिर्धारित करता हूं कि प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए निरर्हता उपगत नहीं की है ।

भारत के राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001.

2019 का निर्देश मामला सं. 5(पी)

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भ : 2019 का निर्देश मामला सं. 5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री वी. विजय साईं रेड्डी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

राय

1. यह निर्देश 17.10.2019 को भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की राय इस प्रश्न पर मांगी गई है कि क्या आंध्र प्रदेश से श्री वी. विजय साईं रेड्डी, संसद् सदस्य (राज्य सभा) भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

2. उक्त निर्देश में, निरर्हता का प्रश्न भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष श्री चेरू रामाकोटैय्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् "**याची**" कहा गया है) द्वारा फाइल की गई याचिका के कारण उद्भूत हुआ था, जिसमें याची ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(क) के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री विजय साईं रेड्डी, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "**प्रत्यर्थी**" कहा गया है) की निरर्हता की मांग इस आधार पर की है कि प्रत्यर्थी नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि के रूप में लाभ का पद (जिसे इसमें इसके पश्चात् "**उक्त पद**" कहा गया है) धारण कर रहे हैं ।

<u>तथ्य :--</u>

3. श्री वी. विजय साईं रेड्डी, राज्य सभा के लिए 03.06.2016 को निर्वाचित हुए थे । याचिका में यह कथन किया गया है कि जी.ओ.एम. सं. 68, तारीख 22.06.2019 द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्यर्थी को उक्त पद पर नियुक्त किया था और उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद प्रदान किया था । याची द्वारा यह कथन किया गया है कि नियुक्ति का उक्त आदेश तुरंत प्रभावी हुआ था और प्रत्यर्थी लाभ का पद धारण कर रहा था । याची द्वारा यह और निवेदन किया गया है कि जी.ओ.एम. सं. 74, तारीख 04.07.2019 द्वारा श्री वी. विजय साईं रेड्डी की नियुक्ति को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था ।

4. तारीख 07.07.2019 को, प्रत्यर्थी को जी.ओ.एम. सं. 75 द्वारा उक्त पद पर पुन: नियुक्त किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वे विशेष प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी शासकीय यात्राओं के दौरान 'राजकीय अतिथि' की प्रास्थिति का उपयोग करने के अलावा, किन्हीं परिलब्धियों या पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे । उक्त उपबंध को निर्देश के मामले के संबंध में नीचे उद्धृत किया गया है :

> "3. यह और आदेश किया जाता है कि श्री वी. विजय साईं रेड्डी, जब कभी वे नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा करते हैं तो उन्हें राजकीय अतिथि की प्रास्थिति प्रदान की जाएगी । <u>वे किन्हीं अन्य परिलब्धियों के लिए हकदार नहीं होंगे ।</u>"

<u>विश्लेषण :--</u>

5. माननीय संसद् सदस्यों के लिए निरर्हताओं के हटाए जाने से संबंधित विधान, संसद् (निरर्हता निर्वारण) अधिनियम, 1959 है । अत:, अधिक विनिर्दिष्ट रूप से धारा 3 के उपबंधों को ध्यान में रखना उचित होगा, जो निम्नानुसार उपबंध करते हैं :--

> **"3. कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे—**एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद्-सदस्य चुने जाने या संसद्-सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा, जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात् :--
>
> [(झ) किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि <u>ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है</u>, किंतु इसमें (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, (ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद और (iii) अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट किसी अकानूनी निकाय के उपाध्यक्ष का पद सम्मिलित नहीं है ;]**"**
>
> [बल दिया गया है]

6. कुछ ऐसे न्यायिक पूर्वनिर्णयों की समीक्षा करना भी सुसंगत होगा, जिनमें माननीय न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई पद 'लाभ का पद' के प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, यदि उससे कोई धनीय अभिलाभ नहीं हो सकता है ।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रवन्ना सुबाना बनाम जी.एस. केगीरप्पा [ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 653]** में यह विनिश्चय करते हुए कि क्या प्रत्यर्थी तालुक विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद धारण कर रहा था और इसलिए नगर निगम पार्षद के रूप में निरर्हित होने के लिए दायी था, यह अभिनिर्धारित किया कि—

> "13. अभिव्यक्ति के स्पष्ट अर्थ से यह प्रतीत होता है कि कोई पद सरकार के अधीन धारण किया जाना चाहिए, जिसके लिए कोई भुगतान, वेतन, परिलब्धियां या भत्ते प्राप्त होते हैं । "लाभ" शब्द धनीय अभिलाभ के भाव को इंगित करता है । यदि वास्तव में कोई अभिलाभ होता है तो इसका परिमाण या रकम महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि उस पद, जिसे वह धारण करता है, के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्य धन की रकम इस बात का विनिश्चय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है कि क्या पद से वास्तव में कोई लाभ होता है ।"
>
> "14. किसी भी दृष्टि से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि भले ही सरकारी समिति का कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य विशुद्धत: अवैतनिक हैसियत में कार्य करता हो और उसे उस पद पर कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो, तब भी उसे इस धारा के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में समझा जाएगा । हमारी राय में यह उपबंध अत्यधिक सावधानी के कारण से किया गया हो, न कि किसी अन्य कारण से । अत:, हमारा विचार यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही नहीं है और जैसा कि हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी तात्त्विक समय पर सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर रहा था, वह मैसूर टाऊन मन्युस्पिलिटीज ऐक्ट के अधीन पार्षद के रूप में चुन जाने का निश्चित रूप से हकदार था ।"

[बल दिया गया है]

8. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, **दिव्या प्रकाश बनाम कुलतार चंद राणा [ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1067]** में यह विनिश्चय करते हुए कि क्या राज्य शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, लाभ का पद था, जिसका परिणाम संविधान के अनुच्छेद 191 के अधीन प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्य की निरर्हता होगा, यह अभिनिर्धारित किया कि—

> "2. इसमें लेशमात्र विवाद हो सकता है और वास्तव में यह विवादित भी नहीं है कि बोर्ड के अध्यक्ष का पद राज्य सरकार के अधीन एक पद है । केवल प्रश्न यह है कि क्या वह पद लाभ का पद है या नहीं । सर्वसम्मति से, प्रथम प्रत्यर्थी वेतन प्राप्त नहीं कर रहा था । अध्यक्ष के पद पर उसको नियुक्त करने वाला आदेश यह स्पष्ट करता है कि उसे केवल अवैतनिक हैसियत में नियुक्त किया गया था । अध्यक्ष के पद को धारण करने के परिणामस्वरूप प्रथम प्रत्यर्थी को प्रोद्भूत होने वाले किसी लाभ के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह लाभ का पद धारण कर रहा था ।"

[बल दिया गया है]

9. जी.ओ.एम. सं. 75, तारीख 07.07.2019 प्रवर्गत: यह कथन करता है कि प्रत्यर्थी विशेष प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी शासकीय यात्राओं के दौरान 'राजकीय अतिथि' की प्रास्थिति का उपयोग करने के अलावा, किन्हीं परिलब्धियों या पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होगा ।

10. जहां तक राजकीय अतिथि की प्रास्थिति प्रदान किए जाने के विशेषाधिकार का संबंध है, यह शासकीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में किए जाने वाले दौरों तक सीमित है और इसलिए, इसे एक फायदे के रूप में नहीं समझा जा सकता है । इस अभिमत का **रामाकृष्ण हेगड़े बनाम कर्नाटक राज्य [ए.आई.आर. 1933 के.ए.आर. 54]** द्वारा समर्थन किया गया है । इस मामले में, याची, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था । उसकी नियुक्ति के आदेश के अनुसार, याची कैबिनेट मंत्री के पद और अपनी शासकीय यात्राओं में 'राजकीय अतिथि' की प्रास्थिति का उपयोग करते समय, केवल कतिपय भत्तों तथा किराया मुक्त आवास के लिए हकदार था । माननीय उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय करते समय कि क्या याची लाभ का पद धारण कर रहा था, यह अभिनिर्धारित किया कि—

"15. क्या कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है, इसका निर्वचन सुसंगत समय पर व्यक्ति के वर्ग पर युक्तियुक्त रूप से विचार करके किया जाना चाहिए। मात्र इस कारण कि याची को राजकीय अतिथि या केबिनेट मंत्री के पद के रूप में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, यह नहीं कहा जा सकता कि उसे धनीय अभिलाभ प्राप्त हुआ था। वर्तमान मामले में, यह दर्शाने के लिए दूसरे प्रत्यर्थी के समक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद से, वास्तव में, कोई लाभ प्राप्त हुआ हो।"

[बल दिया गया है]

निष्कर्ष:--

15. संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित न्यायिक पूर्वनिर्णयों में माननीय न्यायालयों द्वारा किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, आयोग की यह राय है कि प्रत्यर्थी, अर्थात् आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री विजय साईं रेड्डी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत नहीं की है।

ह.	ह.	ह.
(अशोक लवासा)	**(सुनील अरोड़ा)**	**(सुशील चंद्रा)**
निर्वाचन आयुक्त	**मुख्य निर्वाचन आयुक्त**	**निर्वाचन आयुक्त**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 08.06.2020

[फा.सं. एच-11026/1/2020-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delh, the 14th September, 2020

S.O. 3129(E).—The following Order made by the Hon'ble President is published for general information:-

ORDER

31st August, 2020

Whereas Shri Ch. Ramakotaiah (hereinafter, "Petitioner") has addressed a petition dated the 9th September, 2019, to the undersigned whereby he has sought disqualification of Shri V. Vijayasai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh (hereinafter, "Respondent") under Article 102(1)(a) of the Constitution of India on the ground that the Respondent is holding an 'Office of profit' as the Special Representative of the Andhra Pradesh Government at Andhra Pradesh Bhawan in New Delhi (hereinafter, "the said office'').

And whereas the said petition filed by the Petitioner was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under article 103(2) of the Constitution of India on the alleged disqualification of the Respondent.

And whereas the Petitioner has stated that Shri V. Vijayasai Reddy was elected to the Rajya Sabha on 03.06.2016. Further, the Government of Andhra Pradesh appointed the Respondent to the said office and assigned him a rank of Cabinet Minister *vide* G.O.M. No. 68 dated 22.06.2019. The said order of appointment came into effect immediately and the Respondent was holding an Office of profit. Subsequently, *vide* G.O.M. No. 74, dated 04.07.2019, the appointment of Sh. V. Vijayasai Reddy was cancelled by the Government of Andhra Pradesh.

And whereas the Petitioner has further stated that on 07.07.2019, the Respondent was re-appointed to the said office vide G.O.M. No. 75, wherein it was mentioned that he will not be entitled to any other perks, other than enjoying the status of a 'State Guest' during his official travels in the state of Andhra Pradesh in connection with performance of his duties as Special Representative. The petitioner has alleged that the Respondent has incurred disqualification under article 102(1) (a) of the Constitution of India on the ground that he is holding an 'Office of Profit' as Special Representative of the Andhra Pradesh Government at Andhra Pradesh Bhawan in New Delhi.

And whereas the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under Article 103 of the Constitution of India on the question whether Shri V. Vijayasai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, has become subject to disqualification for being a Member of Parliament under Article 102(1)(a) of the Constitution of India.

And whereas the Election Commission of India, after examining the petition has opined that in view of the provisions contained in the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 and in view of the observations made by the Hon'ble Courts in the judicial precedents, the Respondent, i.e. Shri V. Vijayasai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, has not incurred disqualification for being a Member of the Parliament under Article 102 (1)(a) of the Constitution of India. A copy of the opinion dated 8th June, 2020 given by the Election Commission of India is annexed hereto.

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 103 of the Constitution of India, do hereby hold that the Respondent has not incurred disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under article 102(1) (a) of the Constitution of India.

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

REFERENCE CASE NO. 5 (P) OF 2019

[REFERENCE FROM THE HON'BLE PRSIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

In re: Reference Case No. 5 of 2019 – Reference received from the Hon'ble President of India under Article 103 of the Constitution of India seeking opinion of the Election Commission of India on the question of alleged disqualification of Shri V. Vijayasai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, under Article 102 of the Constitution of India.

OPINION

1. This is a reference received from the Hon'ble President of India on 17.10.2019, seeking opinion of the Election Commission of India under Article 103 of the Constitution of India on the question whether Shri V. Vijayasai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, has become subject to disqualification for being a Member of Parliament under Article 102(1)(a) of the Constitution of India.

2. In the said reference, the question of disqualification arose out of a petition filed by Shri Cheru Ramakotaiah (hereinafter, **"Petitioner**") before the Hon'ble President of India, wherein the Petitioner has sought disqualification of Shri Vijasai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh (hereinafter, "**Respondent**"), under Article 102(1)(a) of the Constitution of India on the ground that the

Respondent is holding an 'Office of profit' as the Special Representative of the Andhra Pradesh Government at Andhra Pradesh Bhawan in New Delhi (hereinafter, "**the said office''**).

FACTS:-

3. Shri V. Vijayasai Reddy was elected to the Rajya Sabha on 03.06.2016. It is stated in the petition that vide G.O.M. No. 68 dated 22.06.2019, the Government of Andhra Pradesh appointed the Respondent to the said office and assigned him a rank of Cabinet Minister. It is stated by the Petitioner that the said order of appointment came into effect immediately and the Respondent was holding an Office of Profit. It is further submitted by the Petitioner that vide G.O.M. No. 74, dated 04.07.2019, the appointment of Sh. V. Vijayasai Reddy was cancelled by the Government of Andhra Pradesh.

4. On 07.07.2019, the Respondent was re-appointed to the said office vide G.O.M.No. 75, wherein it was mentioned that he will not be entitled to any perks or remuneration, other than enjoying the status of a 'State Guest' during his official travels in the state of Andhra Pradesh in connection with performance of his duties as Special Representative. The said provision has been reproduced below for case of reference-

"*3. It is further ordered that Sri V. Vijayasai Reddy, whenever he visits the State of Andhra Pradesh in connection with performance of his duties as Special Representative of Government of Andhra Pradesh at Andhra Pradesh bhavan, New Delhi, shall be accorded the status of a State Guest. He will not be entitled for any other perks."*

ANALYSIS:-

5. The legislation that deals with the removal of disqualifications for the Hon'ble Members of the Parliament is the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959. It is therefore apposite to take note of its provisions more specifically Section 3, which provides as under:-

"*3. Certain offices of profit not to disqualify – It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any state, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of parliament, namely,-*

[(i)the office of chairman, director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (h), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance, but excluding (i) the office of chairman of any statutory or non statutory body specified in Part I of the Schedule, (ii) the office of chairman or secretary of any statutory or non-statutory body specified in part II of the Schedule and (iii) the office of deputy Chairman of the non-statutory body specified in Part III of the Schedule;]"

(Emphasis supplied)

6. It is also pertinent to examine some judicial pronouncements wherein the Hon'ble courts have held that an office will not fall in the category of 'Office of profit' if no pecuniary gain can be made from it.

7. The Hon'ble Supreme Court in **Ravanna Subana vs. G.S. Keggeerappa [AIR 1954 SC 653]** while deciding whether the Respondent was holding an Office of Profit as Chairman of the Taluk Development Committee and was therefore liable to be disqualified as a Municipal Councillor, held that

> *"13. The plain meaning of the expression seems to be that an office must be held under Government to which any pay, salary, emoluments or allowance is attached. The word "profit" connotes the idea of pecuniary gain. If there is really a gain, its quantum or amount would not be material; but the amount of money receivable by a person in connection with the office he holds may be material in deciding whether the office really carries any profit."*
>
> *"14. In any view it cannot be argued that even if a Chairman or a member of a Government committee works in a purely honorary capacity and there is no remuneration attached to the office, he will still be regarded as a person holding office of profit in view of the provisions of the section. This provision might in our opinion have been made only out of abundant caution and nothing else. We think therefore that the view taken by the High Court is not right and as we hold that the appellant was not holding any office of profit under the Government at the material*

time he was certainly entitled to be chosen as a Councillor under the Mysore Town Municipalities Act."

(Emphasis supplied)

8. Similarly, the Hon'ble Supreme Court in ***Divya Prakash vs. Kultar Chand Rana*** **[AIR 1975 SC 1067]** while deciding whether the Chairman of State Education Board was an Office of profit which would result in disqualification of Respondent M.L.A. under Article 191 of the Constitution, held that-

"2. There can be very little dispute and indeed it is not disputed that the office of the Chairman of the Board is an office under the State Government. The only question is whether it is an office of profit. Admittedly, the 1st respondent was not in receipt of a salary. The order appointing him to the post of Chairman makes it clear that he was appointed only in an honorary capacity. In the absence of any profit accruing to the 1st respondent as' a result of holding of the office of Chairman it cannot be said that he was holding an office of profit.''

(Emphasis supplied)

9. The G.O.M. No. 75 dated 07.07.2019 categorically states that the Respondent shall not be entitled to any perks or remuneration, other than enjoying the status of a 'State Guest' during his official travels in the state of Andhra Pradesh in connection with performance of his duties as Special Representative.

10. Insofar as the privilege of being accorded the status of a State Guest is concerned, it is limited to visits in connection with the performance of official duties and therefore it cannot be viewed as a benefit. This view is supported by ***Ramakrishan hedge vs. State of Karnataka*** **[AIR 1933 KAR 54]**. In this case, the Petitioner was appointed as Dy. Chairman of the planning Commission. As per his appointment order, the Petitioner was only entitled to certain allowances and rent free accommodation, while enjoying the rank of Cabinet Minister and the status of 'State Guest' in his official travels. The Hon'ble High Court, while deciding whether the Petitioner was holding an Office of Profit, held that-

"15. Whether a person holds an office of profit should be interpreted reasonably taking into consideration the class of person at the relevant time. Merely because the petitioner had some privileges as a State Guest or a rank of a Cabinet Minister, it cannot be said that he had pecuniary gain. In the instant case, no evidence was placed before the second respondent to show that the office of the Deputy Chairman of the Planning Commission really carried any profit."

(Emphasis supplied)

CONCLUSION:-

15. In view of the provisions contained in the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 an in view of the observations made by the Hon'ble Courts in the judicial precedents noted above, this Commission hereby opines that the Respondent, i.e. Shri Vijayasai Reddy, Member of parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, has not incurred disqualification for being a member of the Parliament under Article 102 (1)(a) of the Constitution of India.

-sd-	-sd-	-sd-
(Ashok Lavasa)	**(Sunil Arora)**	**(Sushil Chandra)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Date: 08.06.2020

[F.No.H-11026/1/2020-Leg.II]

Dr. REETA VASHISTHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.14 22:20:14 +05'30'